

32

महत्वपूर्ण / विभागीय वेबसाईट

पत्र संख्या: अपर आयुक्त (पुलिस) / पुलिस कर्मी / उपार्जित अवकाश // 2022-23

551

// राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, 30 प्र०, लखनऊ
(पुलिस-कैम्प)

दिनांक :: लखनऊ :: 23 दिसम्बर, 2022

समस्त,

अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि० अनु०शा०) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या 447 दिनांक 29-01-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस कर्मियों के उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्रों पर कुल शेष देय उपार्जित अवकाश की सूचना अंकित कराने के उपरान्त कम से कम 30 दिवस पूर्व अपनी स्पष्ट संस्तुति मुख्यालय को प्रेषित कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु समस्त जोनों द्वारा मुख्यालय से जारी निर्देशों को अनदेखा करते हुए उसका अनवरत उल्लंघन किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

समसन्दर्भ में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पुलिस कर्मियों के उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्रों पर कुल शेष देय उपार्जित अवकाश की सूचना अंकित कराने के उपरान्त कम से कम 30 दिवस पूर्व अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रत्येक दशा में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे मुख्यालय द्वारा अवकाश स्वीकृति की सूचना समसमय सम्बंधित जोनों को प्रेषित की जा सके। मुख्यालय द्वारा अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही सम्बंधित पुलिस कर्मियों को अवकाश का उपभोग करने हेतु जोन / जनपद कार्यालयों से प्रस्थान कराया जाय।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9/12/22

A
25/12/22

D. C. (ITC)
26/12/22

3968

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई०पी०एस०

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या: व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर पलोड कराने हेतु।

3- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर उत्तर प्रदेश

25/12/22

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।